scheme for providing assistance to the State Governments for publicity campaign against alcoholism has been prepared and which has been sent to all the State Governments and UTs for their comments. So far, State Governments of Meghalay and Manipur have furnished their comments. The comments from other States Governments/UTs are awaited.

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासीय विद्यालय

6200. **श्री अजीत जोगी :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिए आवासीय विद्यालयों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार देश में ऐसे और विद्यालय खोलने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० वी० तंकाबालू) : (क) अपेक्षित सूचना सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) से (घ) अनुसूचित जनजाति के लिए आश्रम विद्यालयों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत देश में अब तक 167 आश्रम विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। अनुसूचित जनजाति महिलाओं के विकास के लिए शैक्षिक परिसरों की केंद्रीय क्षेत्र की एक और योजना के अंतर्गत वर्ष 1993-94 के दौरान 23 शैक्षिक परिसर स्थापित किए गए हैं । आश्रम विद्यालयों तथा शैक्षिक परिसरों के जिलावार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गये हैं । **(नीचे देखिए)**

ऐसे और आश्रम विद्यालयों तथा शैक्षिक परिसरों को खोलना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करेगा ।

अत्यंत निम्न साक्षरता वाली अनुसूचित जाति लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र योजना की रूपरेखा जिसमें अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए शैक्षिक विद्यालयों को स्थापना की परिकल्पना की गई है, को भी योजना आयोग के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

विवरण

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालयों के स्थापना की योजना के अंतर्गत आश्रम विद्यालयों की संख्या ।

क्रम सं०	राज्य	आश्रम विद्यालयों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	16
2.	गुजरात	45
3.	कर्नाटक	02
4.	केरल	10
5.	महाराष्ट्र	38
6.	उड़ीसा	16*
7.	सिक्किम	03
8.	तमिलनाडु	24
9.	त्रिपुरा	07*
10.	उत्तर प्रदेश	06
	कुल :	167

* उन्नयन के लिए तीन विद्यालयों सहित (एक त्रिपुरा में तथा दो उड़ीसा में)

वर्ष 1993-94 के दौरान अनुसूचित जनजाति महिलाओं के विकास के लिए शैक्षिक परिसर की योजना के अंतर्गत स्थापित शैक्षिक परिसरों की संख्या ।

क्रम सं०	राज्य	परिसर की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	01
2.	गुजरात	04
3.	केरल	01

1	2	3
4.	मध्य प्रदेश	06
5.	महाराष्ट्र	01
6.	उड़ीसा	06
7.	राजस्थान	04
	कुल :	23

मध्य प्रदेश के बिलासपुर संभाग के आदिवासियों के विकास के लिए योजना

6201. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के बिलासपुर संभाग के आदिवासियों के सर्वांगीण विकास से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इसे अब तक स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० वी० तंकाबालू) : (क) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आई० एफ० ए० डी०) रोम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के मामले को आर्थिक कार्य विभाग के साथ उठाने हेतु "मध्य प्रदेश राज्य की बिलासपुर डिविजन एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना" नामक प्रस्ताव भेजा है।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव को अपनी सिफारिश के साथ आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजा गया है जिन्होंने सूचित किया है कि इस प्रस्ताव को टिप्पणी के लिए आई० एफ० ए० डी० को भेजा जा रहा है।

Insurance Schemes for the Handicapped Persons

6202. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce any insurance schemes for the handicapped persons;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether medical examination for the handicapped persons would be indispensable in the special scheme; and

(d) if so, the details of the institution to be benefited under the scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU): (a) No, Sir.

(b) to (d) Does not arise.

Committee for Post Matric Scholarship for SCs and STs

6203. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a high level official committee of Government of India under the Chairmanship of Shri R. K. Saiyed was set up in 1986 for going into the aspects of the post matric scholarship scheme for SCs and STs;

(b) whether the said committee submitted its report in 1987;

(c) what are the recommendations contained in the report;

(d) whether it is a fact that except the representatives from the Ministry of Finance, all Members recommended, adequate scholarship based on price-index;

(e) if so, the details thereof; and

(f) whether Government have accepted the recommendations of the committee with regard to the revision of